रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 1993/भाद्र 3, 1915
No. 289] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 1993/BHADRA 3, 1915

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1993

सा.का.नि. 570 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार विदेश मंत्रालय की दिनांक 14 अप्रैल, 1976 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 298 (अ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार, जिसका यह विचार है कि ऐसा करना जन-हित में होगा, एतद्द्वारा भारत के ऐसे नागरिकों को, जिनके विरुद्ध भारत के किसी आपराधिक न्यायालय में उनके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में मुकदमा चल रहा है और जो संबंधित न्यायालयों द्वारा भारत से बाहर जाने की अनुमति से सम्बद्ध आदेश प्रस्तुत

करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रावधानों के संचालन से निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त किया जा सकता है :–

(क) ऐसे प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट नीचे लिखे अनुसार जारी किया जाएगा :–

(i) यदि न्यायालय ने विशिष्ट अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए हैं तो उल्लिखित न्यायालय के आदेशों में निर्दिष्ट अवधि के लिए ;

(ii) यदि ऐसे आदेश में न तो पासपोर्ट जारी करने की अवधि अथवा विदेश यात्रा की निर्दिष्ट अवधि दी गई है तो पासपोर्ट एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा ;

(iii) यदि ऐसे आदेश में विदेश यात्रा की अनुमति एक वर्ष से कम अवधि की दी गई है, परन्तु पासपोर्ट की वैधता अवधि निर्दिष्ट नहीं है तो पासपोर्ट एक वर्ष के लिए जारी किया जाएगा ; अथवा

(iv) यदि ऐसे आदेश में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है, और पासपोर्ट की वैधता निर्दिष्ट नहीं है तो पासपोर्ट, आदेश में निर्दिष्ट विदेश यात्रा की अवधि के लिए जारी किया जाएगा ।

(ख) उपरोक्त (क) (ii) और (क) (iii) की शर्तों के अनुसार जारी किए गए किसी पासपोर्ट को एक वर्ष के लिए पुनः नवीकृत किया जा सकता है, यदि न्यायालय द्वारा स्वीकृत अवधि में आवेदक ने विदेश यात्रा न की हो और बशर्ते इस बीच न्यायालय के आदेश रद्द व संशोधित न किये गए हों ।

(ग) उपरोक्त (क) (1) की शर्तों के अनुसार जारी किसी पासपोर्ट को, तभी नवीकृत किया जा सकता है यदि न्यायालय के नए आदेश किए गए हों, जिनमें पासपोर्ट की वैधता अवधि निर्दिष्ट हो अथवा निदेश यात्रा की अवधि निर्दिष्ट हो;

(घ) कथित नागरिक को, पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित में यह शपथ देनी होगी कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर वह किसी भी समय पासपोर्ट की वैध अवधि के दौरान न्यायालय के सामने उपस्थित होगा ।

[सं. VI/401/37/79]

एल. के. पोनप्पा संयुक्त सचिव (सीपीवी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 1993

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 22 of the Passports Act 1967 (15 of 1967) and in supersession of the

notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. G.S.R. 298(E), dated the 14th April, 1976, the Central Government, being of the opinion that it is necessary in public interest to do so, hereby exempts citizens of India against whom proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by them are pending before a criminal court in India and who produce orders from the court concerned permitting them to depart from India, from the operation of the provisions of Clause (f) of sub-section (2) of Section 6 of the said Act, subject to the following conditions, namely :—

(a) the passport to be issued to every such citizen shall be issued—

(i) for the period specified in order of the court referred to above, if the court specifies a period for which the passport has to be issued; or

(ii) if no period either for the issue of the passport or for the travel abroad is specified in such order, the passport shall be issued for a period one year;

(iii) if such order gives permission to travel abroad for a period less than one year, but does not specify the period validity of the passport, the passport shall be issued for one year; or

(iv) if such order gives permission to travel abroad for a period exceeding one year, and does not specify the validity of the passport, then the passport shall be issued for the period of travel abroad specified in the order.

(b) any passport issued in terms of (a) (ii) and (a) (iii) above can be further renewed for one year at a time, provided the applicant has not travelled abroad for the period sanctioned by the court; and provided further that, in the meantime, the order of the court is not cancelled or modified;

(c) any passport issued in terms of (a) (i) above can be further renewed only on the basis of a fresh court order specifying a further period of validity of the passport or specifying a period for travel abroad;

(d) the said citizen shall give an undertaking in writing to the passport issuing authority that he shall, if required by the court concerned, appear before it at any time during the continuance in force of the passport so issued.

[No. VI/401/37/79]

L. K. PONAPPA, Jt. Secy. (CPV)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993